

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-2015-औसं/2018-11(1)ए०एस०/०९(१८)

दिनांक: 07 जुलाई, 2018

विषय:- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि दिनांक 30.06.2018 से अग्रेतर दिनांक 01.07.2018 से 30.06.2020 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता पूर्ववत् कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों/शर्तों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औसं-17/पाकालि/०२, दिनांक 09.12.2002 एवम् आदेश संख्या-3593-औसं-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन मान्यता सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप संख्या-2791-औसं/2016-11(1)ए०एस०/०९(१६) दिनांक 08.07.2016 एवं तत्कम में निर्गत अन्य आदेशों के अनुक्रम में निम्नलिखित चिकित्सालयों को कार्यालय ज्ञाप संख्या-249-औ०सं०/2018 दिनांक 30.01.2018 द्वारा लागू सी०जी०एच०एस०-2014 की मानक दरों के अनुसार हृदय के क्रेडिट उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु मान्यता एतद्वारा दिनांक 01.07.2018 से अग्रेतर दिनांक 30.06.2020 तक निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

क्र०सं०	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता की अन्तिम प्रभावी तिथि
1.	मैट्रो हॉस्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, एल-94, सेक्टर-11-12, नोयडा।	30.06.2020
2.	कैलाश हॉस्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, एच०-33, सेक्टर-27, नोयडा।	30.06.2020
3.	यशोदा हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, IIIrd एम, नेहरू नगर, गाजियाबाद।	30.06.2020
4.	हेरिटेज हॉस्पिटल, लंका, वाराणसी।	30.06.2020

- मैट्रो हॉस्पिटल एण्ड हार्ट इन्स्टीट्यूट, एल-94, सेक्टर-11-12, नोयडा एवं यशोदा हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, IIIrd एम, नेहरू नगर, गाजियाबाद में भर्ती होकर अन्य गम्भीर रोगों की करायी गयी चिकित्सा पर पूर्ववत् सी०जी०एच०एस०-2006 की दरें यथावत् लागू रहेंगी। डिवाइन हार्ट एण्ड मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, इन्स्टीट्यूशनल एरिया-5, विराज खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ की मान्यता दिनांक 01.07.2018 से अग्रेतर बढ़ाने के सम्बन्ध में हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा दी गयी असहमति के दृष्टिगत मान्यता सूची से विलोपित करते हुए उक्त चिकित्सालय में कारपोरेशन के आदेश संख्या-195-औ०सं०/2014 दिनांक 25.01.2014 की अनुरूपता में कारपोरेशन के कार्यरत/सेवानिवृत्त, उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनधारियों द्वारा भर्ती रहकर कराये गये उपचार के बीजकों की प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जायेगी।
- उक्त चिकित्सालयों को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है तो चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
- कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालयों की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

Naf Mattar

कमश:.....2..../-

4. चिकित्सालयों द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:-2015-(1) औस/2018-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ०प्र० पावर ट्रांसको, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/ पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. प्रबन्धकगण-सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
15. सलाहकार (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेंट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- ✓ 17. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. कट फाइल।

Not Matter
(नवनीत माथुर)
7.7.18

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी